हिंसा में जीवित बचे लोग और पीड़ितों के परिवारों का जीने और रहने की जगह का अधिकार

Civil Rights Department
STATE OF CALIFORNIA

नोटिस

ध्यान दें: नियोक्ताओं को यह जानकारी कामगारों को नियुक्ति के समय, अनुरोध पर हर वर्ष और ऐसे सभी कर्मचारियों को देनी होगी जो नियोक्ता को सूचित करता है कि वह हिंसा का शिकार है या हिंसा के शिकार व्यक्ति के परिवार का सदस्य है। हिंसा के पीड़ितों में घरेलू हिंसा, यौन हमले, पीछा करने, हिंसक धमकियों, खतरनाक हथियारों के उपयोग या मौजूदगी वाले कृत्य या चोट पहुँचाने वाली अन्य हिंसा के पीड़ित शामिल हैं।

छुट्टी लेने का आपका अधिकार

- आपको ज्यूरी सर्विस के लिए या समन या कोर्ट के आदेश का पालन करने के दौरान गवाह के रूप में कोर्ट में उपस्थिति होने के लिए काम से छुट्टी लेने का अधिकार है। सभी कर्मचारियों को यह अधिकार है, चाहे नियोक्ता का आकार कुछ भी हो।
- अगर आप हिंसा के शिकार हैं, तो खुद की सुरक्षा या आपके बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के लिए राहत (जैसे निरोधक आदेश) पाने के लिए काम से छुट्टी लेने का अधिकार है। सभी कर्मचारियों को यह अधिकार है, चाहे नियोक्ता का आकार कुछ भी हो।
- अगर आप हिंसा के शिकार हैं या हिंसा के शिकार व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं और आपके नियोक्ता के पास 25 या उससे ज़्यादा कामगार हैं, तो नीचे दिए गए कारणों के लिए आपके पास काम से छुट्टी लेने का अधिकार है:
  - खुद को या अपने परिवार के सदस्यों को भविष्य में हिंसा से सुरक्षित रखने की योजना बनाने या अन्य कार्रवाइयों में भाग लेना
  - हिंसा के संबंध में नागरिक, प्रशासनिक या आपराधिक मुकदमों की सुनवाई, जैसे कोर्ट की तारीख, की तैयारी करने, उनमें भाग लेने या वहाँ उपस्थित होने के लिए
  - हिंसा के किसी कृत्य के बाद, अगर किसी बच्चे या वयस्क को सुरक्षित रखने के लिए देखभाल ज़रूरी है, तो बच्चों की देखभाल या निर्भर वयस्क की देखरेख माँगने, पाने या देने के लिए
  - हिंसा से आई चोट से ठीक हो रहे परिवार के किसी सदस्य की देखभाल करने के लिए
  - हिंसा के संबंध में ये सेवाएँ प्राप्त करना या परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त करने में सहायता करना: नागरिक या आपराधिक कानूनी सेवाएँ; निरोधक आदेश या अन्य राहत; चोटों के लिए चिकित्सा सहायता; घरेलू हिंसा आश्रय या कार्यक्रम, बलात्कार संकट केंद्र या पीड़ित सेवा संगठन या एजेंसी से सेवाएँ; मनोवैज्ञानिक परामर्श; मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ; या आवास, जिसमें दूसरी जगह पर जाना, अस्थायी या स्थायी आवास प्राप्त करना और बच्चों को नए स्कूल या बच्चों के देखभाल के केंद्र में भर्ती करना शामिल है
- अगर आप हिंसा के शिकार हैं या हिंसा में मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं, तो आप इनमें से किसी भी कारण से 12 हफ़्ते तक की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप हिंसा के शिकार किसी जीवित व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं लेकिन आप खुद शिकार नहीं हैं, तो आप इनमें से किसी भी कारण से 10 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं। इसमें दूसरी जगह पर जाना शामिल नहीं है जिसके लिए आप पाँच दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं।
- आप इस नोटिस में बताए गए किसी भी कारण के लिए उपलब्ध अवकाश, सवैतनिक छुट्टी, निजी छुट्टी या बीमारी के लिए सवैतनिक छुट्टी ले सकते हैं।
- संभव होने पर, आपको छुट्टी लेने से पहले अपने नियोक्ता को नोटिस देना होगा। अगर आप अग्रिम नोटिस नहीं दे पाते हैं, तो अपनी अनुपस्थिति के कारण के बारे में अपने नियोक्ता को यथोचित समय के भीतर सहायक डॉक्यूमेंट देने पर आपका नियोक्ता आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं दर सकता।

हिंसा में जीवित बचे लोग और पीड़ितों के परिवारों का जीने और रहने की जगह का अधिकार

नोटिस

Civil Rights Department
STATE OF CALIFORNIA

गोपनीयता का आपका अधिकार

- अगर आप पीड़ित हैं या पीड़ित के परिवार के सदस्य हैं, तो आपके नियोक्ता को छुट्टी या यथोचित आवास के आपके अनुरोध की जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए, बशर्ते संघीय या राजकीय कानून के अनुसार उसे प्रकट करना ज़रूरी न हो या कार्यस्थल पर आपकी सुरक्षा के लिए उसे प्रकट करना ज़रूरी न हो। अगर आपका नियोक्ता, आपकी या आपकी परिस्थितियों की जानकारी प्रकट करने की योजना बनाता है, तो आपके नियोक्ता को आपको इसकी अग्रिम सूचना देनी होगी।

अपनी सुरक्षा के लिए यथोचित आवास पाने का आपका अधिकार

- अगर आप या आपके परिवार के सदस्य हिंसा के शिकार हैं, तो कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके पास यथोचित आवास माँगने का अधिकार है। आपके नियोक्ता को आपके साथ काम करके यह देखना चाहिए कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं।
- आपका नियोक्ता आपसे यह प्रमाणित करने वाला बयान माँग सकता है कि आपका अनुरोध, पीड़ित होने या किसी पीड़ित के परिवार का सदस्य होने से संबंधित है।

बदले और भेदभाव से मुक्त रहने का आपका अधिकार

आपका नियोक्ता इन कारणों से आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, आपसे अलग व्यवहार नहीं कर सकता या आपको काम से हटा नहीं सकता:

- आप घरेलू हिंसा, यौन हमले, पीछा करने, हिंसक धमकियों या चोट का कारण बनने वाली हिंसा में बचे हैं या इन घटनाओं के किसी पीड़ित या उनसे बचे व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं।
- आपने हिंसा से उबरने या उसके संबंध में मदद पाने के लिए छुट्टी माँगी है।
- आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवास माँगा है कि आप कार्यस्थल पर सुरक्षित हैं।

आपको अन्य कानूनों के तहत भी सुरक्षा मिल सकती है:

- भत्ते की अदला-बदली: अगर आप अपने स्वास्थ्य के कारण या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थिति वाले अपने परिवार के किसी सदस्य की देखभाल करने के कारण काम करने में असमर्थ हैं, तो आप भत्ते की अदला-बदली के योग्य हो सकते हैं। स्टेट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस (SDI) उस स्थिति में भत्ते की कुछ समय के लिए अदला-बदली की सुविधा देता है जब आप काम करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होते हैं। पेड फ़ैमिली लीव (PFL) भत्ते की कुछ समय के लिए अदला-बदली की सुविधा देती है ताकि आप अन्य कारणों के अलावा गंभीर बीमारी से ग्रस्त पारिवारिक सदस्य की देखभाल कर सकें। एंप्लॉयमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (EDD) से ऑनलाइन (https://edd.ca.gov/) या 800-480-3287 (SDI के लिए) या 877-238-4373 (PFL के लिए) फ़ोन पर संपर्क करके और जानें या भत्ते की अदला-बदली का दावा दर्ज करें।
- पारिवारिक और चिकित्सा छुट्टी: कैलिफ़ोर्निया फ़ैमिली राइट्स एक्ट के तहत, आपके पास खुद की या परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के लिए या किसी बच्चे के जन्म, गोद लेने या उसके फ़ॉस्टर केयर प्लेसमेंट के लिए छुट्टी लेने का अधिकार हो सकता है। आप bit.ly/CRD-leave पर जाकर पारिवारिक और चिकित्सा छुट्टी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप CRD में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शोक अवकाश: शोक अवकाश, कर्मचारियों को उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर तीन महीनों के दौरान पाँच दिन तक की छुट्टी लेने की सुविधा देता है। छुट्टी एक साथ लेने की कोई बाध्यता नहीं है। आप bit.ly/CRD-Bereavement पर जाकर शोक अवकाश सुरक्षा के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप CRD में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

हिंसा में जीवित बचे लोग और पीड़ितों के परिवारों का जीने और रहने की जगह का अधिकार

नोटिस

Civil Rights Department
STATE OF CALIFORNIA

- कुछ खास अपराधों के संबंध में कोर्ट में उपस्थिति होनी की छुट्टी: अगर आप कुछ खास तरह के अपराधों के शिकार हैं या ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं, तो लेबर कोड सेक्शन 230.2 और 230.5 के तहत आपके पास कोर्ट की सुनवाई में उपस्थिति होने के लिए छुट्टी लेने का अधिकार है। आप bit.ly/DIR-Retaliation पर जाकर डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के तहत लेबर कमिश्नर के ऑफ़िस से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करना

अगर आपके पास अपने अधिकारों से जुड़ा कोई सवाल है या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो नागरिक अधिकार डिपार्टमेंट से संपर्क करें:

Civil Rights Department

http://ccrs.calcivilrights.ca.gov/s/ पर ऑनलाइन।

651 Bannon Street, Suite 200, Sacramento, CA 95811 पर मेल द्वारा।

800-884-1684 (वॉइस), 800-700-2320 (TTY) या 711 पर कैलिफ़ोर्निया रिले सर्विस को कॉल करके।